इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013—फाल्गुन 17, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. ई-5-296-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस., महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) को दिनांक 8 से 18 अप्रैल 2013 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2013 का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 7 अप्रैल 2013 (पूर्ववर्ती) एवं दिनांक 19, 20, 21 अप्रैल 2013 (पश्चात्वर्ती) का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 16 से 17 जनवरी 2013 तक दो दिन
2. दिनांक 1 से 2 फरवरी 2013 तक दो दिन

(2) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार पाण्डेय, आयएएस., आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. ई-5-725-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ (श्रीमती) एम. गीता, भाप्रसे., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एन.), भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में डॉ. (श्रीमती) एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 11 फरवरी से 23 मार्च 2013 तक इक्तालीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी एवं 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. ई. 5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 4 से 8 मार्च 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-912-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 28 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. ई. 5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी एवं 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. ई. 1-47-2013-5-एक.—श्री अजीत केसरी, भा.प्र.से. (1990), पुनर्वास आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-52-2013-5-एक.—श्री डी.पी. अहिरवार, भाप्रसे (1995), कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल की अवकाश अवधि में, श्री अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे (2002), कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. ई-5-642-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2012 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-701-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस., सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल को 4 से 15 मार्च 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमेश मूंदड़ा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ओमेश मूंदड़ा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमेश मूंदड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-जैल.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री हंसराज तलरेजा पुत्र स्व. श्री हीरालाल तलरेजा, खाड़वे भवन, बहरा पंडित संतर, मुरार थाने के पास, मुरार, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री रामचरन श्रीवास पुत्र श्री दाताराम श्रीवास ग्राम गिजौरा, पोस्ट गिजौरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री रतनलाल भिण्डिया पुत्र स्व.श्री कल्लाराम भिण्डिया, पतनवाली माता मंदिर के पास, नदी पार ताल चौराहा, मुरार जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री प्रमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, सुभाष् बाड़ा दाना, ओली लश्कर, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

क्र. एफ-03-04-2007-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल अम्बाह, जिला मुरैना के लिये श्री बच्चूलाल गुप्ता श्री राजाराम गुप्ता, रेतपुरा, अम्बाह, जिला मुरैना को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. एफ-9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अर्टिकल्स-74(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर श्री सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-164-2011-बत्तीस.—"विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-164-2011-बत्तीस, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 जो राजपत्र में दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित हुई, में शर्त क्रमांक 4 में संशोधन कर **विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय** के स्थान पर **विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत** पढ़ा जाये."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. डी-8-2-12-चौदह-3.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का आदेश क्र. डी-8-2-12-चौदह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2012 को निरस्त करते हेतु एतद्द्वारा राज्य शासन, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री संजय तिवारी, अपर संचालक, कृषि को "अपर गन्ना आयुक्त" नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2013

फा. क्र. 1(सी)1-2013-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, प्रदेश के उन जिलों में जहां डी.डी.पी. / डी.पी.ओ. पदस्थ नहीं है, वहां पदस्थ वरिष्ठतम सहायक लोक अभियोजक अधिकारी को ब्यूरो के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. यादव, अपर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. एफ. 14-1-2013-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1933) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के साथ पठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है :—

1. अध्यक्ष—श्री भगवानदास गोंडाने (अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-2-2007-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011 अनुसार).

2. सचिव—कल्याण आयुक्त.

3. **नियोजकों के प्रतिनिधि :—**

   1. कार्यपालन निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., भोपाल या उसके प्रतिनिधि.

   2. श्री सविन्दर पाल, कार्यकारी निदेशक, अनंत स्पीनिंग मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप.

   3. श्री रतन सोमानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महान एल्यूमिनियम, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लि., सिंगरौली.

   4. श्री आलोक दवे, प्रबंधक प्रशासनिक इप्का लेबोरेट्रीज, 89 ए इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर.

   5. श्री उल्लास वैद्य, लघु उद्योग भारती, सी-2, ऋषि नगर, उज्जैन.

4. **श्रमिकों के प्रतिनिधि :—**

   1. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, म.प्र., 249, शासकीय आवास, बिरला नगर, नागदा.

   2. श्री विष्णुकांत ठाकुर, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, म.प्र., एफ. एफ. 3, रद्दा टावर मेन रोड, जबलपुर, म.प्र.

   3. श्री आर. डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, म.प्र. इंटक, 57/3, ए साकेत नगर, भोपाल.

   4. श्री ए. टी. पद्मनाभन, राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, सीटू, जबलपुर, म.प्र.

   5. श्रीमती अनुसुइया मिश्रा, पाण्डे जी की डेरी के पास, ब्राम्हणगवां, रीवा रोड़, सतना.

   6. श्री कृष्णा मोदी, प्रान्तीय अध्यक्ष, एटक, मु.पो. पाथाखेड़ा, जिला बैतूल, म.प्र.

5. **स्वतंत्र सदस्य :—**

   1. श्रीमती राधा सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, ग्रा.पो. चितरंगी, जिला सिंगरौली, म.प्र.

   2. श्री श्याम सुन्दर यादव, सी-एम/40, सी.जे.आर.एन., दीनदयाल उपाध्याय नगर, इन्दौर, म.प्र.

   3. श्री रामभुवन सिंह कुशवाह, 100/44, शिवाजी नगर, भोपाल.

   4. श्री हेमन्त तिवारी, महामंत्री, म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ, बी-138, पैलेस आर्चेड, शालीमार गार्डन के पीछे, कोलार रोड, भोपाल.

   5. प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल.

   6. श्रमायुक्त, म.प्र. न्यू मोती बंगला, इन्दौर, म.प्र.

   7. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, नन्दा नगर, इन्दौर, म.प्र.

No. F-14-1-2013-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) read with-rule 5 of Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Niyam, 1984, the State Government hereby constitutes the Madhya Pradesh Labour Welfare Board as under :—

1. **Chairman**—Shri Bhagwandas Gondane (as per Notification No. F-14-2/2007/A/XVI, Bhopal, dated 6th September 2011).

2. **Secretary**—Welfare Commissioner.

3. **Representative of Employers :—**

   1. Executive Director, Bharat Heavy Electricals Ltd., Bhopal or his representative.

   2. Shri Savinder Pal, Executive Director, Anant Spinning Mills, Industrial Area, Mandideep.

   3. Shri Ratan Somani, Chief Executive Officer, Mahan Aluminium, Hindalco Industries Ltd., Singrauli.

   4. Shri Alok Dave, Manager Administration, IPCA Laboratories, 89A, Industrial Estate, Polo Ground, Indore,

   5. Shri Ullas Vaidya, Laghu Udyog Bharti, C-2, Rishi Nagar, Ujjain.

4. **Representative of Employees :—**

   1. Shri Sultan Singh Shekhawat, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, M.P., 249, Govt. Quarters, Birla Nagar, Nagda.

   2. Shri Vishnukant Thakur, President, Bhartiya Mazdoor Sangh, M.P., F.F.-3, Radda Tower, Main Road, Jabalpur, M.P.

   3. Shri R. D. Tripathi, President, M.P. INTUC, 57/3 A, Saket Nagar, Bhopal.

   4. Shri A. T. Padmanabhan, All India General Secretary, CITU, Jabalpur, M.P.

   5. Smt. Anusuiya Mishra, Near Pandeyji's Dairy, Brahmangawan, Rewa Road, Satna, M.P.

   6. Shri Krishna Modi, President, AITUC, Post Pathakheda, District Betul, M.P.

5. **Independent Member :—**

   1. Smt. Radha Singh, Chairman, Jila Panchayat, Vill. Post Chitrangi, District Singrauli, M.P.

   2. Shri Shyam Sunder Yadav, C-M/40, CJRN, Deendayal Upadhyay Nagar, Indore, M.P.

   3. Shri Rambhuvan Singh Kushwaha, 100/44, Shivaji Nagar, Bhopal.

   4. Shri Hemant Tiwari General Secretary, M.P. Bijlee Karamchari Mahasangh, B-138, Palace Orchard, Behind Shalimar Garden, Kolar Road, Bhopal.

   5. Principal Secretary / Secretary, Govt. of M.P., Labour Department, Bhopal.

   6. Labour Commissioner, M.P. New Moti Bungalow, Indore M.P.

   7. Director, Employee State Insurance Services, Nanda Nagar, Indore, M.P.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. डी-15-2-2013-चौदह-3.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त बिन्दु (ञ) के अन्तर्गत "कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ" सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

1. श्री शिवनारायण मीणा (अम्बा)—सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. डी-15-2-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st March 2013

No. D 15-2-2013-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(B) of Section 41 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby nominates the following member to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board other than to the ex-officio members under Clause 41(1) (B) (J) "experts in the field of marketing of agricultural produce".

Shri Shivnarayan Meena (Ambha)—Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. एफ-3-262-12-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत गोहद विकास योजना, 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था पता	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका, गोहद	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, भिण्ड	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	भिण्ड	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, गोहद	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, गोहद	सदस्य
(छ) (1)	सरपंच	ग्राम पंचायत, रमनपुरा	सदस्य
(2)	सरपंच	ग्राम पंचायत, नावली	सदस्य
(3)	सरपंच	ग्राम पंचायत, तेहरा	सदस्य
(4)	सरपंच	ग्राम पंचायत, खेरियारायज	सदस्य
(5)	सरपंच	ग्राम पंचायत, छीमका	सदस्य
(6)	सरपंच	ग्राम पंचायत, कीरतपुरा	सदस्य
(ज) (1)	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
(2)	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स, नई दिल्ली	सदस्य
(3)	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, (इंडिया) नई दिल्ली	सदस्य
(4)	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला भिण्ड	सदस्य
(5)	प्रतिनिधि	वन मण्डलाधिकारी, भिण्ड	सदस्य
(6)	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भिण्ड	सदस्य
(7)	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सदस्य
(झ)	संयुक्त संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर	संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)487-2013.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 21, 29 तथा 52 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"21.	श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रथम अति. सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	रायसेन
29.	श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अति. सेशन न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	बैतूल
52.	श्री के. सी. गर्ग, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.	अशोकनगर	अशोकनगर"

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1-6-89-XXI-B(1)-487-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No.F-1-6-89XXI-B(1), dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th April, 1998, Namely :—

AMENDMENT

In the Said Notification, In the Schedule, for serial numbers 21, 29 and 52 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"21.	Shri Umesh Kumar Gupta, 1st Additional Sessions Judge, Raisen	Raisen	Raisen
29.	Shri P. K. Mishra, 1st Additional Sessions Judge, Betul	Betul	Betul
52.	Shri K. C. Garg, District & Sessions Judge, Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar"

This amendments shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-691, 859/013.—''मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1,'' दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्रकाशित की गई इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-245-255-इक्कीस-ब(एक) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए है, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिये गये शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिनमें वह शब्द आएं है		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)		(3)
''सिविल जिला भोपाल का ओ. एण्ड एम. डिवीजन तथा पश्चिम संभाग का विद्युत क्षेत्र''	589	30 एवं 31	''सिविल जिला भोपाल के विद्युत क्षेत्र का उत्तर संभाग, ओ. एण्ड एम. संभाग और पश्चिम संभाग''
"O & M Division and West Division of the electricity Area of Civil District Bhopal"	590	17 एवं 18	"North Division O & M Division and West Division of the Electricity Area of Civil District Bhopal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 20-5अ-एस.सी.-2-13.—एतद्द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता		पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये
(1)	(2)		(3)
1.	श्री राजेन्द्र शर्मा (राजू पटनहा) आत्मज श्री रामलाल शर्मा, निवासी कोलगवां. सतना म. प्र.	माननीय विधायक वि.स. क्षेत्र सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.

के. के. खरे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. क 1199-तकावी-13.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, सागर एवं मण्डी बामोरा में संसद सदस्य (लोकसभा) सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं :—

1.	श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम मोकलपुर, तह. व जिला सागर.	सांसद प्रतिनिधि	धारा 11(1)के खण्ड (घ)
2.	श्री पूरन सिंह, निवासी मण्डी बामोरा, तह. बीना, जिला सागर.	सांसद प्रतिनिधि	धारा 11(1)के खण्ड (घ)

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 फरवरी 2013

क्र. 181-भू-अ.-5-रा.नि.-2013.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी (आई.ए.एस.), कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील बिछुआ के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल बिछुआ की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01, 02, 03 एवं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 कुल 30 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल बिछुआ एवं पटवारी हल्का नं. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 47, 48, 49, 50, 51 कुल 21 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल खमारपानी की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 182-भू-अ.-5-रा.नि.-2013.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी (आई.ए.एस.), कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील सौंसर अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल सौंसर की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01, 02, 03. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एवं 32, 35, 48, 63 कुल 34 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल सौंसर एवं पटवारी हल्का नं. 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 कुल 29 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल लोधीखेड़ा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 183-भू-अ.-5-रा.नि.-2013.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी (आई.ए.एस.), कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील जुन्नारदेव के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल जुन्नारदेव एवं दमुआ की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43 कुल 39 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल दमुआ एवं पटवारी हल्का नं. 36, 39, 40, 42 एवं 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एवं 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल 33 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल जुन्नारदेव एवं पटवारी हल्का नम्बर 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 कुल 27 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल नवेगांव की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 184-भू-अ.-5-रा.नि.-2013.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी (आई.ए.एस.), कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की तहसील तामिया के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल तामिया की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 20, 21, 22, 23, कुल 22 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल देलाखारी एवं पटवारी हल्का नं. 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 कुल 31 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल तामिया की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 301-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक

(2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :—

अनुसूची–1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम खन्धौली, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम खैरखुट
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	31	खैरखुट	1 खाता	98	60.42	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	168	127.99	
			योग	: 266	188.41	

अनुसूची–2

शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	राजस्व ग्राम खन्धौली हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	31	खन्धौली	1 खाता	948	332.39	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	744	571.27	
			योग	: 1692	903.66	

S. No. 301-LR-2013.—In exercise of the power vested under Section 108, 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), I am M. Selvendran, Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Khandholi, RI Circle Saraodha, Tehsil Deosar, Distt. Singrauli (M.P.)

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) abadiland
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Proposed Name of Revenue Village Khairkhut
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Khairkhut	31	1. Private Land	98	60.42	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	168	127.99	
			Grand Total :	266	188.41	

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Khandhauli	31	1. Private Land	948	332.39	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	744	571.27	
			Grand Total :	1692	903.66	

क्र. 303-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम कुर्सा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम भाटटोला
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	04	भाटटोला	1 खाता	170	116.13	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	117	56.69	
			योग	: 287	172.82	

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	राजस्व ग्राम कुर्सा हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	04	कुर्सा	1 खाता	1620	792.01	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	673	370.23	
			योग	: 2293	1162.24	

S. No. 303-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108, 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), I am M. Selvendran, Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Kursa, RI Circle Saraodha, Tehsil Deosar, Distt. Singrauli (M.P.)

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) abadi land
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Proposed Name of Revenue Village Bhattola
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Bhattola	04	1. Private Land	170	116.13	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	117	56.69	
			Grand Total :	287	172.82	

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Kursa	04	1. Private Land	1620	792.01	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	673	370.23	
			Grand Total :	2293	1162.24	

क्र. 299-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम जियावन, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम चौराडाड़
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	07	चौराडाड़	1 खाता	485	161.199	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	73	487.116	
			योग	: 558	648.315	

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा

स.क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.		रकबा	राजस्व ग्राम जियावन हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	07	जियावन	1 खाता	1165	384.701	अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू-प्रबंधन
			2 गैर खाता	107	81.584	
			योग	: 1272	466.285	

S. No.299-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108, 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), I am M. Selvendran, Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Jiyawan, RI Circle Saraodha, Tehsil Deosar, Distt. Singrauli (M.P.)

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) abadiland
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Proposed Name of Revenue Village Chaura dad
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Chaura dad	07	1. Private Land	485	161.199	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	73	487.116	
			Grand Total :	558	648.315	

SCHEDULE No.-2

Balance Area & Survey Number at own Revenue Village

S.No.	Name of the Village with P.C. No (fully details)					Designation of the of officer autorized to prepare record of right of (Revenue Village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey No.		Total Area	Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Jiyawan	07	1. Private Land	1165	384.701	SLR land record / Management
			2, Govt. Land	107	81.584	
			Grand Total :	1272	466.285	

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 1360-न्या.लि.-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) का संख्यांक 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई सारणी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:—

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाना/पुलिस चौकी से सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित करता हूं.

2. सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम (4) में वर्णित पुलिस थाना/पुलिस चौकी में सम्मिलित करता हूं.

सारणी

अनुविभाग-बीना :

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परसीमन किया जाना है	वर्तमान में किस थाना/चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है. उसका नाम एवं दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्राम-हिन्नोद	थाना आगासौद से दूरी 25 कि.मी.	चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 02 कि.मी.
2	ग्राम-गिरोल	थाना आगासौद से दूरी 23 कि.मी.	चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 05 कि.मी.
3	ग्राम-ब्लाखना	थाना आगासौद से दूरी 18 कि.मी.	चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 08 कि.मी.
4	गरम-बेसरा कसोई	थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.	चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 04 कि.मी.
5	ग्राम-ढाना	थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.	चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 04 कि.मी.
6	ग्राम-पुरैना	थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.	चौकी सिरचौंपी थाना भानगढ़ से 05 कि.मी.
7	ग्राम-पार	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 12 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 01 कि.मी.
8	ग्राम-बिल्थईबुजुर्ग	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 14 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 02 कि.मी.
9	ग्राम-मूडरी	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 15 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 03 कि.मी.
10	ग्राम-नेहरोन	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 16 कि.मी.	थाना आगासौद से दूरी 04 कि.मी.
11	ग्राम-मनमती	चौकी 16 नई बस्ती थाना बीना से दूरी 17 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 05 कि.मी.
12	ग्राम-धनोरा पूरा	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 15 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 04 कि.मी.
13	ग्राम-सरगौली	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 16 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 05 कि.मी.
14	ग्राम-पटकुई	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 17 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 06 कि.मी.
15	ग्राम-हासलखेडी	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 18 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 07 कि.मी.
16	ग्राम ढिमरोली	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 19 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 08 कि.मी.
17	ग्राम-हडकल खाती	चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 08 कि.मी.	थाना आगासौंद से दूरी 03 कि.मी.
18	ग्राम-ढांड	थाना खिमलासा से दूरी 10 कि.मी.	थाना भानगढ़ से दूरी 03 कि.मी.
19	ग्राम-गीदा	थाना खिमलासा से दूरी 12 कि.मी.	चौकी उजनेट थाना बांदरी से दूरी 04 कि.मी.

अनुविभाग-रहली :

20	ग्राम-पडरिया	थाना सानौधा के अन्तर्गत है दूरी 10 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
21	ग्राम-बासूखेडा	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 20 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 5 कि.मी.
22	ग्राम-बूडाखेडा	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 18 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 15 कि.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)
23	ग्राम-सहावन	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 15 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
24	ग्राम-बिलैआ	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 15 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
25	ग्राम-बेरखेडी	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 15 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
26	ग्राम-भडराना	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 13 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
27	ग्राम-नाहरमउ	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 22 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
28	ग्राम-खारमउ	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 23 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
29	ग्राम-मंजला	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 18 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 05 कि.मी.
30	ग्राम-मझगुवा	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 20 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 04 कि.मी.
31	ग्राम-बम्हौरी खुर्द	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 22 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 04 कि.मी.
32	ग्राम-गौरा खुर्द	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 25 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 14 कि.मी.
33	ग्राम-टेटवारा	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 18 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 14 कि.मी.
34	ग्राम-मढिया चारौदा	थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 20 कि.मी.	चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
अनुविभाग—देवरी :			
35	नाहरमउ	थाना सुरखीं से दूरी 15 कि.मी.	थाना गौरझामर से दूरी 10 कि.मी.
अनुविभाग—राहतगढ़ :			
36	ग्राम-जामुनढाना	थाना-नरयावली से दूरी 42 कि.मी. एवं चौकी ज़रूआखेडा से दूरी 22 कि.मी.	थाना-राहतगढ़ से दूरी 12 कि.मी.
37	ग्राम-कांटीघाटी	थाना-नरयावली से दूरी 40 कि.मी. एवं चौकी जरूआखेडा से दूरी 2 कि.मी.	थाना-राहतगढ़ से दूरी 12 कि.मी.
38	ग्राम-संजरा	थाना सुरखी से दूरी 35 कि.मी. चौकी बिलहरा से दूरी 15 कि.मी.	थाना-जैसीनगर से दूरी 12 कि.मी.
39	ग्राम-सोठिया	थाना मोतीनगर से 15 कि.मी.	थाना-जैसीनगर से दूरी 13 कि.मी.
40	ग्राम-हफसिली	थाना नरयावली से 13 कि.मी.	थाना-मोतीनगर से दूरी 7 कि.मी.
41	ग्राम कोलुआ	थाना नरयावली से 30 कि.मी.	थाना-केन्ट से दूरी 15 कि.मी.
42	ग्राम-सेमराहॉट	थाना नरयावली से 25 कि.मी.	थाना-केन्ट से दूरी 17 कि.मी.
अनुविभाग—खुरई :			
43	ग्राम गीदा	थाना खिमलासा से दूरी 12 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
44	ग्राम गोलनी	थाना खुरई से दूरी 15 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
45	ग्राम बेरखडी	थाना खुरई से दूरी 20 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 06 कि.मी.
46	ग्राम बॉदरी बछउ	थाना खुरई से दूरी 21 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 07 कि.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)
47	ग्राम कुमरोल	थाना खुरई से दूरी 22 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
48	ग्राम धर्मपुर	थाना खुरई से दूरी 22 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 07 कि.मी.
49	ग्राम श्रहरोल	थाना खुरई से दूरी 24 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 09 कि.मी.
50	ग्राम बूधों	थाना खुरई से दूरी 25 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 09 कि.मी.
51	ग्राम परासरी	थाना खुरई से दूरी 19 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
52	ग्राम नारधा	थाना खुरई से दूरी 20 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 04 कि.मी.
53	ग्राम गढौली धीरज	थाना खुरई से दूरी 21 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
54	ग्राम पिपरिया गौड	थाना खुरई से दूरी 23 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
55	ग्राम दुगाह कल, दुगाह खुर्द.	थाना खुरई से दूरी 10 कि.मी.	थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 02 कि.मी.
अनुविभाग—बण्डा :			
56	ग्राम-बेई	थाना-छानबीला से दूरी 28 कि.मी.	चौकी दलपतपुर थाना बण्डा से दूरी 04 कि.मी.
57	ग्राम धुरमार	थाना-बरायठा से दूरी 20 कि.मी.	चौकी दलपतपुर थाना बण्डा से दूरी 05 कि.मी.
58	ग्राम-उजनेठी	थाना-बरायठा से दूरी 18 कि.मी.	थाना-विनायका से दूरी 08 कि.मी.
59	ग्राम-भरतपुर	थाना-बरायठा से दूरी 15 कि.मी.	थाना-विनायका से दूरी 08 कि.मी.
60	ग्राम-बरेठी	थाना-बरायठा से दूरी 13 कि.मी.	चौकी गूगरा थाना बण्डा से दूरी 07 कि.मी.
61	ग्राम-नानकपुर	थाना-बरायठा से दूरी 12 कि.मी.	थाना-छानबीला से दूरी 10 कि.मी.
उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)/अनुविभाग सागर :			
62	ग्राम-खमरिया	थाना-सुरखी से दूरी 25 कि.मी.	थाना-केसली से दूरी 20 कि.मी.
63	ग्राम-खैजराबाग	थाना-सुरखी से दूरी 25 कि.मी.	थाना-सिविल लाईन से दूरी 11 कि.मी.
64	ग्राम-संजरा	थाना-सुरखी से दूरी 30 कि.मी.	थाना-जैसीनगर से दूरी 15 कि.मी.
65	ग्राम-चावडा	थाना-सुरखी से दूरी 30 कि.मी.	थाना-सिविल लाईन से दूरी 11 कि.मी.
66	ग्राम-सलैयागाजी	थाना-सुरखी से दूरी 20 कि.मी.	थाना-गोपालगंज से दूरी 15 कि.मी.
67	ग्राम-गंभीरिया	थाना-बहेरिया से दूरी 06 कि.मी.	थाना-पद्माकर से दूरी 02 कि.मी.
68	ग्राम-दीनदयाल नगर	थाना-बहेरिया से दूरी 06 कि.मी.	थाना-पद्माकर से दूरी 02 कि.मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2013

फा. क्र. 23-वि.निर्वा.-2009-4-52.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA-(23-2009)-2012, दिनांक 27 अप्रैल 2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 27th April, 2012—7 Vaisakha, 1934 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(23-2009)-2012.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Bench dated 16-12-2011 in Election Petition No. 23/2009 filed by Shri Manoj Kumar Agrawal challenging the election of Smt. Archana Chitnis to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 180-Burhanpur Assembly Constituency.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Election Petition No. 23 of 2009

Petitioner : Manoj Kumar Agrawal, Son of Late Shri Vishwambharnath Agrawal, Aged about 43 years, (Candidate of Bahujan Samaj Party), Burhanpur, Legislative Constituency No. 180, Resident of 27, Thakurdas Govindwala Marg, Quila Road, Burhanpur (M.P.).

Versus

Respondent : Smt. Archana Chitnis, Wife of Shri Sameer Chitnis Returned Candidate of Bhartiya Janata Party, Burhanpur, Legislative Constituency No. 180, Resident of Dwarkapuri, Station Road, Burhanpur (M.P.).
Permanent Address : 165, Saket Nagar, Indore (M.P.).

ELECTION PETITION CHALLENGING THE ELECTION OF RESPONDENT FROM BURHANPUR CONSTITUENCY (No. 180) UNDER SECTION 80/80-A R/W SECTION 100 (1) (b) OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

The Election Petitioner named above begs to submit as under :

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Election Petition No.23/2009

Manoj Kumar Agrawal, aged about 43 years,
son of late Vishwambharnath Agrawal,
Resident of 27, Thakurdas Govindwala Marg,
Quila Road, Burhanpur ...Petitioner

vs.

Smt. Archana Chitnis, wife of Sameer Chitnis
Resident of Dwarkapuri, Station Road, Burhanpur
Permanent Address-165, Saket Nagar, Indore ...Respondent

Petitioner Shri Manoj Kumar Agrawal with Shri Y.M. Tiwari, Advocate, is present in person.

Shri Mrigendra Singh with Shri Amit Khatri, Advocates for the respondent.

Date of Hearing : 06/09/2011

Date of Judgment: 16/12/2011

JUDGMENT

In this petition, election of the returned candidate *viz.* the respondent to the M.P. Legislative Assembly Constituency No.180 Burhanpur (for short "the Constituency") has been called in question on the ground mentioned in Section 100(1)(b) of Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as 'the Act'). The reliefs claimed therein are as follows –

(i) declaration that election of the respondent is void.

(ii) direction for prosecution of the respondent and other persons found guilty of the corrupt practices.

(iii) direction to hold the election afresh.

2. The following calendar of events for the said election was notified on 31/10/2008 :-

a.	Last date for filing nominations	07/11/2008
b.	Date of scrutiny of nominations	08/11/2008
c.	Last date for withdrawal of nominations	10/11/2008
d.	Date of polling	27/11/2008
e.	Date of counting/declaration of result	08/12/2008

3. As many as 14 candidates including the petitioner and the respondent contested the election. The petitioner was in the fray as an authorized candidate of Bahujan Samaj Party (BSP) whereas the respondent was fielded as the official candidate of Bhartiya Janta Party, the then Ruling Party in the State. During the election campaign of the respondent, poster in question (Ex-P-3), which contained appeal to the electorate to vote for her was distributed. As indicated therein, in all 1000 such posters were published by Mukesh Dewada, a party worker, with consent of the respondent and the charges incurred in publication thereof were also included in the accounts of expenditure furnished to the District Election Officer. In the final result-sheet prepared in Form 20 of the Conduct of Election Rules, 1961, the votes secured by the independent candidates as well as the candidates representing various political parties were reflected as under –

S.No.	Name of candidate	Party Affiliation	Number of votes secured
1.	Archana Didi	B.J.P.	85362
2.	Girdhari Lal Kumawat	R.J.D.	641
3.	Nafees Mansha Khan	S.P.	1573
4.	Manoj Kumar Agrawal	B.S.P.	5845
5.	Sharif Rajgir	C.P.I.	634
6.	Hameed Kazi	N.C.P.	52508
7.	Isamuddin Leader Sujauddin	S.A.P.	521
8.	Dharmraj Devchand Mahajan	B.J.S.H.	661
9.	Mukund Sanyas	R.P.I.(A)	553
10	Shakeel Khan Usman Khan	L.J.P.	344
11.	Kailash Parik	IND	867
12.	Dinesh Sudras	IND	323
13.	Premchand Baliram Nagraj	IND	624
14.	Mohan Patil Baliram Patil	IND	3037

The respondent was declared elected as she had obtained the majority of votes.

4. As per the petitioner, -- the constituency had 2,04,522 registered voters. Of these, there were approximately 1,20,000 Hindu voters. Various temples including temple of *Lal Deval* situated at the bank of river Tapti in the city of Burhanpur were depicted in the poster distributed by the respondent in furtherance of her election. Use of such a poster showing temple, which is a religious symbol of the Hindus in general in the election campaign against the backdrop of recent communal disturbances, amounted to corrupt practices as contemplated in sub-section (3) of Section 123 of the Act.

5. While denying the allegation, the respondent has submitted that it is an appeal in the name of religion that constitutes a corrupt practice whereas the poster did not contain any appeal to vote or refrain from voting for any person on the ground of religion and further that there is not even an iota of communal slant in the depiction of the temple. According to her, -

(a) the famous structure of "Lal Deval" located at the bank of river Tapti is neither any religious symbol reflecting the identity of Burhanpur nor has been notified as such by the Department of Religious Trust and Endowments (Government of M.P.).

(b) the poster related to river Tapti and not to any temple or monument situated on its bank and the contents thereof only reflected her emotional attachment and dreams about the development of Burhanpur with the river at its fulcrum as well as her plans to further implementation of mega recharge scheme for the benefit of the local farmers.

(c) the poster only reflected the actual scenario at the bank of river Tapti, which is sign of identification of Burhanpur, and

depiction of certain structures situated at its bank, was only incidental and not intentional.

(d) Had there been any intention to project the temples as the religious symbols or use them for appeal to vote in her favour, the election symbol and her photograph would not have covered the poster so vitally.

(e) copies of the poster were distributed throughout the Constituency during the election.

6. On the basis of the pleadings of the parties, the following issues have been framed. The corresponding answer is noted against each one of them -

No.	Issues	Finding
1	Whether the poster in question (Annexure P-3) depicts a religious symbol within the meaning of sub-section (3) of Section 123 of the Act ? OR Whether the poster reflected the actual site of the bank of river Tapti in Burhanpur, if so, the effect ?	No Yes
2	Whether by publishing and distributing the poster, the respondent made an appeal to vote on the ground of her religion for the furtherance of her prospects of the election or for prejudicially affecting the election of any other candidate in the fray ?	No
3	Whether the respondent is guilty of corrupt practices under Section 123(3) of the Act ?	No
4	Whether the election of the respondent to M.P. Legislative Assembly Constituency No.180, Burhanpur is liable to be declared as void under sub-Section 1(b) of Section 100 of the Act ?	No
5	Relief and Costs.	Petition dismissed with cost

REASONS FOR THE FINDINGS

ISSUE No.1

7. Petitioner Manoj Kumar (PW1) has asserted that the respondent, by way of poster (Ex.P-3), had made appeal to secure votes with the aid of temple, which is a religious symbol of the Hindus. According to him, in the poster, the temples situated at the bank of river Tapti in Burhanpur including *Lal Deval* Temple were purposely depicted. However, he has candidly admitted that –

(a) If the photograph of the respondent and picture of "Lotus" flower, the election symbol of Bhartiya Janta Party, are removed from the poster, it would only show the actual site of the bank of river Tapti.

(b) Scene depicted in the poster is that of Rajghat, a tourist place situated at the bank of river Tapti, which is revered equally by Hindus and Muslims.

(c) The poster does not contain appeal on the ground of religion or God.

(d) It is the popular belief that when the water of Tapti touches the top of "Lal Deval" temple, there is every likelihood that city of Surat (Gujarat), which is also located at the bank of the same river, will be flooded with its water.

8. Similar admissions have been made by Waseem Khan (PW3), an elector and a practicing Advocate, in his cross-examination. He further acknowledged that the poster did not hurt any religious faith. He was not in a position to answer the question as to whether after seeing the poster, the Muslim voters had voted against the Hindu candidates.

9. Even after claiming in the cross-examination, that an idol of Lord Shiva is consecrated in the Lal Deval temple, petitioner Manoj

Kumar has not preferred to examine any worshipper of the deity. Waseem Khan (PW3) also pleaded complete ignorance of the fact that Lal Deval is used for measuring water level of river Tapti.

10. As deposed by the respondent (DW6), to her knowledge, regular worshipping is not being performed in any of the temples shown in the poster whereas the Lal Deval temple is, in fact, used for assessing the water level to anticipate any danger of flood in the city of Surat. According to her, in the area marked as "C", there is a mosque in dilapidated condition and in the area marked as "D' in the poster, another mosque known as "Kali Masjid" is situated and both the mosques are used by Muslims for offering prayers and Namaz. Her testimony drew ample support from the statements of other witnesses namely Siraj Ahmad Ansari (DW1), a weaver by occupation, Sunil Kharche (DW2), a sand contractor, Mohanlal (DW3), an employee of liquor contractor, Chetan Das (DW4), a farmer and Purushottam (DW5), a washerman. Among these witnesses, who are residents of Burhanpur only, Purushottam (DW5) came forward to state that idols in all the temples shown in the posters are in broken condition and, therefore, are not worshipped. Chetandas (DW4) also admitted that he had not visited any temple for worshipping. Mohanlal (DW3) was emphatic in saying that in the Lal Deval temple also, the idol is in broken condition.

11. Sunil (DW2), while admitting that in some of the temples located at Rajghat, the idols are regularly worshipped, has also informed that ancient temple of Saturn is situated there only. Acoording to him, the Saturn temple, not shown in the poster, is considered to be the most revered place of worship for the Hindus simply because in the Hindu mythology, Goddess Tapti is the sister of Lord Saturn. Significance of Saturn temple was also highlighted by Mohan Lal (DW3) and Purushottam (DW5) by deposing that the

idol installed therein is rare inasmuch as on its other side, idol of Lord Hanuman is carved.

12. Although, petitioner Manoj Kumar feigned ignorance of the peculiarity of the idol yet, he came forward to admit that in the Saturn Temple, a Shivlinga and an idol of Lord Ganesha are also worshipped. Purushottam (DW5) substantiated the fact stated by Sunil (DW2) that view of Rajghat as depicted in the poster appears to have been photographed from the Saturn Temple only. While admitting existence of old Saturn Temple at Rajghat, Siraj Ahmad Ansari (DW1) asserted that at the place shown in the poster below the word "Pur", a mazar is situated where the followers of Islam used to go to offer *Fatiha* (prayer for the dead). He further asserted that in the poster, minarets in the *Kali Masjid* located in Zainabad are also visible.

13. Use of religion, caste, race, community or language for furtherance of the prospects of the election of the candidate is prohibited under sub-section (3) of Section 123 of the Act. It reads as under :-

> ***"Section 123. Major Corrupt practices***
> *(1) .....*
> *(2) .....*
> *(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate:*
> *[Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause.]"*

14. Accordingly, appeal to religious symbol is a corrupt practice as contemplated by the sub-section. However, what would be an appeal to religious symbol is a vexed question. The case law on the subject may be tabulated as under :-

Precedent	The view taken
Mohansingh v. Bhanwarlal AIR 1964 MP 137 (DB)	Appeal in the name of cow or Nanda-deep is not an appeal to any religious symbol because (i) Deep is not any religious symbol (ii) it does not stand for, or represent, any particular God or Goddess and (iii) In common parlance, Nanda-Deep does not represent the symbol of any deity, Mata or Goddess and it requires some etymological research to know that 'Nanda' also means 'Durga', and Nanda-Deep is the symbol of Durga.
Jagdev Singh Sidhanti v. Pratap Singh Daulta AIR 1965 SC 183	Word 'Om' used on a flag is not a religious symbol.
Ramanbhai Ashabhai Patel v. Dabhi Ajitkumar Fulsinji AIR 1965 SC 669	Describing election symbol as 'Dhruva Star' with its attributes in election pamphlets is not a corrupt practice as Dhruva Star is not a religious symbol.
Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain AIR 1975 SC 2299	Cow and Calf is not a religious symbol.
Mullapudi Venkata Krishna Rao v. Vedula Suryanarayana AIR 1994 SC 1627	Poster of leader of party to which successful candidate belonged, in attire of Lord Krishna blowing 'shanku' (conch) and quoting words of Bagwadgita addressed by Krishna to Arjuna that his incarnation would be born upon the earth to restore dharma, is a religious symbol.

15. The proviso appended to the sub-section (3) [*ibid*] by the Act No.40 of 1975 is to the effect that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol for the purpose of this clause. Even prior to that, the Supreme Court in **Ramanbhai**'s case (supra), while deciding whether 'Star' that was allotted to Swatantra Party by the Election Commission was a religious symbol, had the occasion to lay down the guideline in the following terms -

> *"if the voters are told that they should cast their vote for a particular candidate whose election symbol is associated with a particular religion just as the Cross is with Christianity, that will be using a religious symbol for obtaining votes. But where, as in the case of the Hindu religion, it is not possible to associate a particular symbol with religion, the use of a symbol even when it is associated with some deity, cannot, without something more, be regarded as a corrupt practice within the meaning of sub-section (3) of Section 123 of the Act. For instance, a particular object or a plant, a bird or an animal associated with a deity is used in such a way as to show that votes are being solicited in the name of that deity or as would indicate that the displeasure of that deity would be incurred if a voter does not react favourably to that appeal, it may be possible to say that this amounts to making an appeal in the name of religion. But the symbol standing by itself cannot be regarded as an appeal in the name of religion".*

16. Reverting to the evidence as marshalled above, the under-mentioned conclusions may safely be drawn:-

(i) If the photograph of the respondent and picture of "Lotus" flower, the election symbol of Bhartiya Janta Party, are removed from the poster (Ex.P-3), it would only present a panoramic view of Rajghat situated on the bank of river Tapti, its bed and the headland on the opposite bank.

(ii) Rajghat also has structures including Lal Deval, which is used for assessing the water level to anticipate the danger of flood in the city of Surat (Gujarat).

(iii) All the temples shown in the poster contain broken or abandoned idols considered as unworthy of worship.

(iv) The most revered temple situated at the bank of river Tapti is the temple of Saturn who, according to Hindu Mythology, is her brother but this temple was not depicted in the poster.

(v) Structures visible in the poster include a dilapidated Mosque at Rajghat and Kali Masjid located on the other side of the river.

17. A charge of corrupt practice is substantially akin to a criminal charge. As such, the contention that by not denying specifically the petitioner's pleading regarding depiction of temples including Lal Deval Temple in the poster, the respondent has admitted that it is a religious symbol is apparently misconceived. In this regard, the following illuminating observations made by R.S. Sarkaria, J. in Razik Ram v. J. S. Chouhan AIR 1975 SC 667 may usefully be quoted :-

"The commission of a corrupt practice entails serious penal consequences. It not only vitiates the election of the candidate concerned but also disqualifies him from taking part in elections for a considerably long time. Thus, the trial of an election petition being in the nature of an accusation, bearing the indelible stamp of quasi-criminal action, the standard of proof is the same as in a criminal trial. Just as in a criminal case, so in an election petition, the respondent against whom the charge of corrupt practice is levelled, is presumed to be innocent unless proved guilty. A grave and heavy onus therefore, rests on the accuser to establish each and every ingredient of the charge by clear, unequivocal and

unimpeachable evidence beyond reasonable doubt. It is true that there is no difference between the general rules of evidence in civil and criminal cases, and the definition of "proved" in Section 3 of the Evidence Act does not draw a distinction between civil and criminal cases. Nor does this definition insist on perfect proof because absolute certainty amounting to demonstration is rarely to be had in the affairs of life. Nevertheless, the standard of measuring proof prescribed by the definition, is that of a person of prudence and practical good sense. 'Proof' means the effect of the evidence adduced in the case. Judged by the standard of prudent man, in the light of the nature of onus cast by law, the probative effect of evidence in civil and criminal proceedings is markedly different. The same evidence which may be sufficient to regard a fact as proved in a civil suit, may be considered insufficient for a conviction in a criminal action. While in the former, a mere preponderance of probability may constitute an adequate basis of decision; in the latter a far higher degree of assurance and judicial certitude is requisite for a conviction.

18. In the face of the abovementioned fact-findings and the well-settled position of law on the subject, it is difficult to hold that the poster (Ex.P-3) depicts any religious symbol within the meaning of sub-section (3) of Section 123 of Act as it only reflects panoramic view of river Tapti in Burhanpur. The alternative issues under Serial No.(1)[above] are answered accordingly.

ISSUE No.2

19. City of Burhanpur was rocked by communal riots on 09th and 10th of October, 2008 whereas Gazette Notification for the election was published on 31.10.2008. As many as 9 persons lost their lives during the riots. An inquiry into the riots was ordered by the M.P. State Human Rights Commission. Sushovan Banerjee (PW2),

Inspector General of Police, had conducted the inquiry and submitted his report (Ex.P-5) before the Commission. These facts are not in dispute.

20. Manoj Kumar (PW1), the petitioner, has alleged that the respondent committed corrupt practice by making appeal to electors to vote for her through the medium of poster (Ex.P-3) representing temples against the backdrop of recent communal riots. According to him, publication and distribution of the poster in the post-riot period resulted in polarization of the electorate on communal basis and, accordingly, Muslims voted for Hameed Qazi whereas non-Muslims cast their votes in favour of the respondent. His witness Waseem Khan (PW3), while substantiating the allegation, has deposed that the riots had disturbed the communal harmony and spirit of brotherhood.

21. Manoj Kumar, in his testimony, has also made reference to paragraph 5 of the report (Ex.P-5) authored by Sushovan Banerjee (PW2) indicating that on 10th October, 2008, the respondent had visited Gandhi Chowk where Kailash Parik, a local BJP leader, was sitting on *Dharna* (picketing) along with his supporters and during her brief stay there, had also talked to the protestors. He further stressed that the riots continued even after respondent's short meeting with Kailash Parik.

22. Highlighting these background circumstances, the petitioner has argued that publication and circulation of the poster (Ex.P-3) was not aimed at mere depiction of the temples at Rajghat but was intended to generate appeal to the voters to vote for the respondent on the ground of her religion. To fortify the argument, implicit reliance has been placed on decision of the Supreme Court in **P.C. Thomas v. P.M. Ismail, (2009) 10 SCC 239**. The ratio laid down in **Kultar Singh v. Mukhtiar Singh AIR 1965 SC 141** that appeal to

voters on ground of religion can be a corrupt practice even though rival candidates belong to same religion, has also been cited. Inviting attention to the observations made by the Apex Court in **Das Rao Deshmukh, Dr. v. Kamal Kishore Nanasaheb Kadam AIR 1996 SC 391**, the petitioner has further submitted that in the context in which the poster was published, it was likely to rouse passion in minds of voters on communal basis.

23. Denying the charge, the respondent Archana Chitnis (DW6) has explained that she had published the poster to highlight the physical and geographical situation of Rajghat in view of the fact that during the preceding years, she had remained involved in various developmental projects including mega artificial recharge scheme for bulk augmentation by harnessing the surplus runoff of Tapti river during the monsoon period. For this, reference has been made to (a) recommendations of Central Ground Water Board, Bhopal (Ex.D-1), (b) related correspondence (Ex.D-2 to D-22) and (c) extracts of relevant proceedings of Vidhan Sabha (Ex.D-23). According to her, river Tapti is the lifeline of entire area of Burhanpur and Rajghat, being the main bank of the river, is the identity of Burhanpur.

24. While admitting that on 10th of October, 2008, she had visited Gandhi Chowk where, against the backdrop of communal riots between Hindus and Muslims, *Dharna* (picketing) by certain supporters of BJP was organized, the respondent stated that during her stay for about two minutes, she had only consoled them. Nothing could be elicited in her cross-examination so as to suggest that she had, in any way, provoked the supporters of BJP to continue with the *Dharna*.

25. Further, as admitted by Sushovan Banerjee (PW2), his report (Ex.P-5) did not disclose any role of the respondent, whether direct or indirect, in the riots. The report also revealed that

(a) respective roles of sitting M.P. namely Nandkumar Singh Chouhan representing BJP and the sitting MLA of Burhanpur Constituency namely Hameed Qazi, who subsequently contested the election as official candidate of Nationalist Congress Party (NCP), were shrouded with doubt and were instrumental in triggering off the communal riots.

(b) the respondent had visited Gandhi Chowk in the capacity of sitting MLA from Nepanagar Constituency.

26. As reflected in the table in Para 3 (above), Kailash Parik, referred to as the local BJP leader, who carried on picketing at the Gandhi Chowk, also contested the election as an independent candidate and had secured 867 votes.

27. In **Kultar Singh**'s case (supra), the Constitution Bench explained the test to be applied to decide as to whether a particular appeal made by a candidate falls within the mischief of Section 123(3) of the Act in the following terms –

(i) The Courts should not be astute to read into the words used in the appeal anything more than can be attributed to them on its fair and reasonable construction.

(ii) The document in question must be read as a whole and its purport and effect determined in a fair, objective and reasonable manner.

28. Further in **P.C. Thomas**'s case (above), it was laid down that in deciding as to whether offending materials amounted to/constituted an appeal on the ground of religion, the test to be applied is that of a common man's understanding and the effect of the documents on the mind and feelings of an ordinary average voter. In that case, calendar (Ext. P-2) containing the photograph of the appellant with the Holy Pope, taken on the occasion of the

beatification ceremony of Mother Teresa was circulated along with the offending notice (Ext. P-1) purportedly authored and published in the name of John K., a well known leader of Catholic community, that contained the following appeal -

> *"P.C. Thomas, who participated as the official representative of the Central Government at the function beatifying and conferring sainthood to Mother Teresa who had flown away to God's court like the piece of white cloud of purity and declared before the whole world, by kissing the hand of the Holy Father, the love and affection of 100 crore Indians, stands as social worker whom our community can always be proud of, it was the selfishness and personal interest of certain people, which sent him to the BJP front. But there too he stands as a witness of Christ like the old Joseph who was elevated as king by the aliens.*
>
> *I request you to give P.C. Thomas, who is the representative of the Christians, following the footsteps of Lord Jesus who stepped into this world to preach the gospel to the poor, to console the sad at heart to free the shackled, to give sight to the blind and to liberate the oppressed and who follows the commandment of the Holy Church, your ever strong prayer support to enable that son to continue as Jesus' witness in Delhi."*

It was on these facts that the Court observed that the Calendar (Ext.P-2) does not *per se* fall within the mischief of Section 123(3) of the Act but taken along with the notice (Ext.P-1) does serve as a statement to strengthen the appeal in the notice. Accordingly, the Apex Court agreed with the finding of the High Court that the appellant *viz.* P.C. Thomas was guilty of corrupt practice by making appeal to electors to vote on the ground of religion.

29. However, facts of the instant case are apparently distinguishable inasmuch as Waseem Khan (PW3), the sole witness examined by the petitioner, has admitted that his religious feelings remained unaffected even after seeing the poster (Ex.P-3) and also that all the Muslim voters had not voted against the respondent. Moreover, Sheikh Rahmat (DW7), a Muslim voter called by the respondent, categorically admitted that the poster, which was affixed in Azadnagar wherein he resides, did not, in any way, hurt the feelings of Muslim voters and none of the other witnesses including Siraj Ahmad Ansari (DW1) was cross-examined on this point.

30. As pointed out already, out of 14 candidates, five were Muslims & each one of them was able to obtain certain votes and petitioner Manoj Kumar had secured third position in the election. This trend of votes, as reflected in the table in Para 3 (above), suggesting that all the Muslim votes were not cast in favour of Muslim candidates, clearly ruled the possibility of a communal polarisation of the electorate.

31. Further, no presumption, under Section 81 of the Indian Evidence Act, is attached to genuineness of the newspaper reports (Ex.P-11 to P-13) referred to by the petitioner (**Laxmi Raj Setty v. State of Tamil Nadu AIR 1988 SC 1274** referred to).

32. This apart, there is nothing on record to suggest that before the date of polling i.e. 27.11.2008, petitioner Manoj Kumar had made any complaint to the appropriate authority regarding use of the poster by the respondent in her election campaign. Copy of the complaint (Ex.P-7) said to have been made by the petitioner on 01.12.2008 to the Returning Officer/District Election Officer does not contain any acknowledgment as to receipt thereof and none of the postal receipts (Ex.P-8 and Ex.P-9) relates to this complaint. The affidavit (copy of which is placed on record as Ex.P-10) also appears

to have been sworn in on 05.12.2008. Obviously, the aforesaid complaint and the affidavit were prepared during the period intervening the polling and declaration of the result.

33. The decision in **Das Rao Deshmukh**'s case (*ibid*) is not of much relevance as in that case, the poster displayed with permission of returned candidate contained appeal to vote for him for purpose of "teaching a lesson to Muslims" and therefore, he was held guilty of the corrupt practice under Section 123(3)(3A) of the Act. As observed by the Apex Court, the appeal, in that case, was (a) potentially offensive (b) likely to rouse passion in minds of voters on communal basis and (c) likely to bring disharmony between two communities and offend the secular structure of the country.

34. The explanation furnished by the respondent for publication and distribution of the poster depicting the actual site of Rajghat comprising temples is reasonably probable. Moreover, mere reference to prophets or religions or to deities venerated in a religion or to their qualities and deeds does not necessarily amount to an appeal to the religious sentiment of the electorate. Something more has to be shown for this purpose (See. **Ramanbhai**'s case [above]).

35. It is the cardinal principle of election jurisprudence that the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with. Though the purity of the election process has to be safeguarded and the Court shall be vigilant to see that people do not get elected by flagrant breaches of law or by committing corrupt practices, the setting aside of an election involves serious consequences not only for the returned candidate and the constituency, but also for the public at large inasmuch as re-election involves an enormous load on the public funds and administration.

36. Taking into consideration all these factual and legal aspects of the matter, it is also not possible to conclude that by using the poster, the respondent made an appeal to vote on the ground of her religion. The issue no.(2) is, therefore, answered in the negative.

ISSUE Nos.3 AND 4

37. The obvious conclusion in the light of the findings of the previous issues is that the respondent has not committed any corrupt practice as envisaged by Section 123(3) of the Act. As such, her election to M.P. Legislative Assembly Constituency No.180 Burhanpur cannot be held to be void. The issue nos.(3) and (4) are, accordingly, decided against the petitioner.

ISSUE No.5

38. For the foregoing reasons, the election petition is dismissed with cost. The petitioner shall pay an amount of Rs.10,000/- as cost to the respondent.

39. A copy of this judgment be forwarded to the Election Commission as well as to the Speaker of the State Legislative Assembly.

Petition dismissed

Sd./-
(R. C. MISHRA)
JUDGE.
16-12-2011

By order,
Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 169-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-45-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	रसवा	2.760	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ शाखा नहर की डी-2 एवं नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 170-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-46-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	कुआॅ	16.989	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ शाखा नहर एवं उसकी डी-7 डी-8, डी-9, डी-9 एम-1 एल डी-9 एस.एम.-1 निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 171-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-47-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	दवाना	10.747	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर एवं उसकी डी-2 एम-3, एसएम-5, एल डी-6, एल डी-7, डी-7, एम-1 एल निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 172-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-48-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	केरवा	16.830	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर एवं वितरण शाखा-डी-10, डी-9, एम-1-डी-10 एवं एस. एम.-1, डी-10 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 174-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-50-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	सेमल्दा डेब	11.756	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-1, डी-1 एम-7, डी-1, एम-8, एल.डी-1 एम-9 आर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोक भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 175-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-51-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	कपाल्याखेड़ी	7.882	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ डी-10, एम-1, एसएम-1 लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 176-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-52-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	हतोला	13.032	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ शाखा नहर की डी-1, डी-1, एम-3, एस एम-4, डी-1, एम-6 एवं डी-1 एम-7 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 197-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-53-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	दाभड़	9.435	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ शाखा नहर एवं उस पर प्रस्तावित उपनहर की डी-10, एल. डी-10, एम-1 एसएम-1, डी-10, एम-1, एल.डी-8 एल निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 252-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-54-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	लखनगांव	9.161	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआॅ शाखा नहर एवं उसकी निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 253-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-55-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	रणगांव	7.903	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 254-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-56-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	ब्राह्मणगॉव	13.799	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-7, एल डी-7 एम-2, आर एम-4, डी-9 एल एवं उसके निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 255-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र.क्र.-57-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	पुरा	9.352	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर एवं वितरण शाखा डी-7 एल, डी-7 की एम-2, आर. एस. एम-1, डी-7, एम-4, डी-7 के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. 522-23-भू-अर्जन-रीडर-1-2013-प्र.क्र. अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	अम्बारी	0.16	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, (बड़ौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन

(2) भूमि के नक्शे (प्लान)का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 1403-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-समसवाड़ा ब. नं.-266, प. ह. नं.-16, रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 0.677 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1404-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि

के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-उमरिया सोमजी ब. नं.-11, प. ह. नं.-20, रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 02.616 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1406-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सहजपुरी ब. नं.-543, प. ह. नं.-34 रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा	रकबा 0.123 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1407-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-उमरिया ईसरा ब. नं.-27, प. ह. नं.-37, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा-1	रकबा 0.600 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1408-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति

प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-खैरीखुर्द ब. नं.-54, प. ह. नं.-18, रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 0.801 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र).	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1409-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-चोरगांव ब. नं.-91, प. ह. नं.-21 रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 0.518 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)	छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिय निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. भू-अर्जन-5(अ-82) 2012-13-560.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	किवटी	249	0.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	चटुआ हाई लेबिल टैंक शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
		प.ह.नं.	250	0.12		
		75/152	251	0.40		
		रा.नि.मं.	252	0.38		
		समनापुर	300	0.06		
			301	0.26		
			302	0.26		
			303	0.26		
			304	0.34		
			305	0.30		
			306	0.26		
			307	0.01		
			308	0.05		
			309/1	0.30		
			309/2	0.88		
			310	0.84		
			316/1	0.38		
			316/2	0.37		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			317/1	0.30		
			317/2	0.40		
			374	0.05		
			378	0.06		
			313	0.25		
			319	0.28		
			320	0.67		
			322	0.36		
			323	0.39		
			325	0.20		
			326	0.29		
			344	0.30		
			291/1	0.39		
			291/2	0.09		
			291/3	0.28		
			292/1	0.07		
			292/2	0.04		
			293	0.34		
			294	0.68		
			296/1	0.15		
			296/2	0.44		
			297	0.92		
			298	0.41		
			299/1	0.14		
			299/2	0.26		
			312/1	0.19		
			312/2	0.52		
			311	0.08		
			343	0.10		
			342	0.18		
			315/1	0.12		
			315/2	0.32		
			योग	14.86		
			शासकीय भूमि-			
			318, 321, 324, 295	0.53		
			कुल योग	15.39		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13-भू-अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पनागर	मोहास प.ह.नं. 20/38.	0.18	संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13-भू-अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पनागर	बघोड़ी प.ह.नं. 20.	0.83	संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13-भू-अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पनागर	झगरा प.ह.नं. 20/69	0.51	संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.	मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 फरवरी 2013

अधिसूचना संशोधन

भू-अर्जन प्र. क्र. 19-अ-82-11-12.—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना में विद्युतगृह एवं राखंड़ बांध के निर्माण हेतु ग्राम कौड़ियाखेड़ा, प. ह. नं. 28/79, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि 163.03 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 मई 2012 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 8 मई 2012 को पत्रिका में दिनांक 8 मई 2012 को हुआ है.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार **संशोधन** पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट रकबा हे. में	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे. में
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 25 मई 2012.	163.03 हेक्टेयर	159.28 हेक्टेयर
दैनिक भास्कर दिनांक 8 मई 2012.	163.03 हेक्टेयर	159.28 हेक्टेयर
पत्रिका दिनांक 8 मई 2012.	163.03 हेक्टेयर	159.28 हेक्टेयर

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 163.03 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 159.28 हेक्टेयर होगा.

अधिसूचना संशोधन

भू-अर्जन प्र. क्र. 21-अ-82-11-12.—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम भिलाई, प. ह. नं. 28/79, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि 4.97 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 मई 2012 को, दैनिक जागरण में दिनांक 9 मई 2012 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 9 मई 2012 को हुआ है.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार **संशोधन** पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट रकबा हे. में	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे. में
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 25 मई 2012.	4.97 हेक्टेयर	5.18 हेक्टेयर
दैनिक जागरण दिनांक 9 मई 2012.	4.97 हेक्टेयर	5.18 हेक्टेयर
राज एक्सप्रेस दिनांक 9 मई 2012.	4.97 हेक्टेयर	5.18 हेक्टेयर

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.97 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 5.18 हेक्टेयर होगा.

अधिसूचना संशोधन

भू-अर्जन प्र. क्र. 24-अ-82-11-12.—दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत् गृह एवं राखंड बांध के निर्माण हेतु ग्राम गोराड़िया, प. ह. नं. 35/78, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि 184.22 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 मई 2012 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 15 मई 2012 को नई दुनिया में दिनांक 16 मई 2012 को हुआ है.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार **संशोधन** पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट रकबा हे. में	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे. में
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 25 मई 2012.	184.22 हेक्टेयर	182.61 हेक्टेयर
दैनिक भास्कर दिनांक 15 मई 2012.	184.22 हेक्टेयर	182.61 हेक्टेयर
नई दुनिया दिनांक 16 मई 2012.	184.22 हेक्टेयर	182.61 हेक्टेयर

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 184.22 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 182.61 हेक्टेयर होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 26 फरवरी 2013

प्र.क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	लोगनी	28.680	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	पारली	51.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	कराड़िया	28.750	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	विशनिया	1.130	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	करणपुरा	12.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 8-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	चिखला	11.190	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 9-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	चिखली	46.930	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र.क्र. 01-अ-82-2012-13-क्र. 727-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	मल्हारगढ़	दौरवाड़ा	27.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	दौरवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु
		तलाब पिपल्या	13.162		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 02-अ-82-2012-13-क्र. 725-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	मल्हारगढ़	बुढ़ा	5.940	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	मुंजाखेड़ी तालाब एवं नहर निर्माण हेतु
		मुंजाखेड़ी	8.915		
		काल्याखेड़ी (गुजरान)	11.930		
		योग . .	26.785		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 03-अ-82-2012-13-क्र. 726-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	मल्हारगढ़	मिण्डलाखेड़ा	49.590	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर	मिण्डलाखेड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
		देवरी	5.930		
		हनुमंतिया	3.500		
		सिंदवन	0.250		
		योग . .	59.270		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 फरवरी 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)				
			खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	सिलवानी	नगपुरा नगझिरी	245	0.534	0.534	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	नगपुरा नगझिरी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
			216/2	1.254	1.254		
			216/3	0.829	0.829		
			243	0.607	0.607		
			75/2	0.348	0.348		
			75/3	0.647	0.647		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			214/2	0.971	0.971		
			137	0.190	0.190		
			211, 212	3.678	3.678		
			203/2	0.668	0.668		
			174	0.437	0.437		
			186	0.941	0.941		
			181	0.761	0.561		
			172/4	0.559	0.559		
			173/4	0.368	0.368		
			98/2	0.068	0.068		
			95	1.315	1.315		
			300/96	0.809	0.809		
			173/2	1.023	0.950		
			335/153	0.332	0.332		
			132	0.174	0.060		
			135	0.182	0.182		
			172/2	0.906	0.906		
			171/3	0.429	0.429		
			171/4	1.408	1.408		
			173/3	1.092	1.092		
			138	0.093	0.093		
			220	1.572	1.572		
			61	0.271	0.271		
			71	0.777	0.777		
			233	1.789	1.789		
			225	0.813	0.813		
			222	1.210	1.210		
			54	0.943	0.943		
			62	0.138	0.138		
			65	4.302	4.302		
			69	0.478	0.478		
			70	0.085	0.085		
			75/6	1.773	1.773		
			59	0.943	0.943		
			275	0.854	0.854		
			249	3.136	2.000		
			252	1.700	1.700		
			235	0.967	0.967		
			260	1.943	1.943		
			290/260	0.093	0.093		
			263	1.279	1.279		
			67	0.745	0.745		
			224	0.515	0.515		
			228	0.287	0.287		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			64	3.072	3.072		
			68	1.096	1.096		
			75/4	1.910	1.910		
			226	1.210	1.210		
			72, 73	2.420	2.420		
			74	0.304	0.304		
			158, 159/2	0.782	0.782		
			164	0.802	0.802		
			134	0.162	0.162		
			303/96	1.295	1.295		
			98/5	0.186	0.186		
			98/4	0.672	0.672		
			268/1	1.011	1.011		
			171/2	0.425	0.425		
			176	2.436	2.436		
			177/2	0.444	0.444		
			242	1.408	1.408		
			261	0.688	0.688		
			234	1.185	1.185		
			264	1.530	1.530		
			223	1.140	1.140		
			66	1.197	1.197		
			160	0.892	0.892		
			158, 159/1	1.011	1.011		
			165	0.918	0.918		
			75/7	0.235	0.235		
			172/3	0.591	0.591		
			169	1.060	0.800		
			98/3	0.729	0.729		
			237	0.765	0.765		
			209	0.938	0.450		
			210	0.745	0.745		
			167	0.870	0.870		
			183	0.371	0.371		
			98/3	0.729	0.729		
			302/96	2.347	2.347		
			266	1.424	1.424		
			247 esals	3.255	1.600		
			248	0.737	0.500		
			योग	90.228	86.065		

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 521-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ''अ'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू.)	सिमरोल	0.215	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह जिला-खरगोन (म. प्र.).	नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
		योग :	0.215		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

महू, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 630-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ''अ'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).	गवालू	0.455	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह जिला-खरगोन (म. प्र.).	नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
		योग :	0.455		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 100-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.346 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
9/1	2.090	0.377
9/2	1.463	
9/3	0.554	
33/1	1.996	0.293
33/2	1.045	
63	2.686	0.199
65	1.108	0.209
73	0.668	0.011
77/2, 77/3	0.627	
78	1.388	0.261
87	0.355	0.011
831/1/क	0.575	0.293
831/1/ख	0.533	
831/2/क	0.261	
831/2/ख	0.846	
832	0.188	0.031
833	0.094	0.011
842	0.345	0.105
843	0.669	0.116
844	0.125	0.063
875	0.711	0.116
876	0.272	0.011
877	0.293	0.011
878	0.418	0.042
906	0.282	0.011
907	0.982	0.136
908	0.491	0.073
916	0.157	0.052
917	0.314	0.116
931	0.219	0.052
932	0.261	0.042
937	0.690	0.115
939	0.355	0.063
940	0.826	0.136
942	0.345	0.105
944	0.376	0.115
945	0.752	0.011
946/1	0.146	0.084
946/2/क	0.052	
946/2/ख	0.094	
946/3	0.146	
946/4	0.146	
	योग :	3.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर उदयपुरा ब्रांच की नहर की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—उदयपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.755 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
539	0.784	0.084
541/1/मि 1	0.130	0.011
541/1/मि 2	0.131	
541/2	0.826	
541/4	0.188	
541/3	0.543	
541/5	0.125	
541/7	0.042	
541/8	0.491	
541/9	0.491	
541/10	0.376	
542/2	0.021	
542/3	0.021	
542/4	0.021	
542/5	0.042	0.011
542/6	0.021	
549	0.136	0.011
556/1	0.094	0.052
556/2	0.125	
558/2	0.178	0.084
558/3	0.105	
600	0.439	0.074
608	0.366	0.105
616/1	0.251	0.116
616/2	0.219	
617	0.073	0.011
618	0.499	0.011
620	0.637	0.052
621	0.084	0.011
622	1.014	0.220
630	0.240	0.011
650	0.345	0.021
661	0.627	0.011
663	0.679	0.011
664	0.094	0.021
665	0.052	0.042
666	1.000	0.073
667	0.638	0.031
668	0.920	0.011
669		0.157
670	0.105	0.073
671	0.523	0.011
686/मि-1	1.055	0.136
746/1/क	0.167	
746/1/ख	0.982	0.220
750	0.314	0.073
	योग :	1.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा ब्रांच नहर की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 103-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—राई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.197 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
246/1/1	0.408	0.407
246/1/2	0.188	-
46/1/3	0.188	-
246/1/4	0.157	-
246/2	0.784	-
246/3	0.920	-
257	1.714	0.031

(1)	(2)	(3)
261/1	0.648	0.198
261/2/1	0.209	–
261/2/2/3	0.209	–
261/2/2/मि 1	0.449	–
261/2/2/मि 2		
263/1/मि 1	0.418	0.261
263/1/मि 2	0.867	–
263/1/मि 3	0.596	–
263/2	0.010	–
274/1	0.355	0.084
274/2	0.356	–
275	0.878	0.011
305	1.568	0.052
306	0.648	0.146
307/2, 307/1	0.334	0.105
308/1	0.031	–
308/2	0.418	0.084
323/1	0.690	0.011
323/2	0.209	–
324	0.167	0.063
327	0.052	0.011
328	0.460	0.136
329	0.669	0.178
332	0.387	0.011
336	0.449	0.021
339	0.031	0.011
340	0.148	0.125
342	0.293	0.021
344	0.397	0.084
350	0.115	0.031
377	0.700	0.094
	योग :	2.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर उदयपुरा ब्रांच की नहर की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 1848-अ-82-वर्ष 2011-12-प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—सिवनी मालवा
(ग) नगर/ग्राम—सूरजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.358 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/1 में से	0.320
29/3 में से	0.038
योग . .	0.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लोखरतलाई के मध्य मोरन्ड नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा के कार्यालय में देखी जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2013

प्र. क्र. 16-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—जतारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.485 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103/2	0.040
117/1	0.020
104/1	0.360
104/2/2	0.445
116/4/1	0.110
116/4/2	0.020
116/1 ख	0.220
114/1 ख	0.040
115/2	0.010
116/2/1	0.015
114/1 क	0.145
115/1	0.010
114/2	0.180
64	0.420
625/4	0.370
672/2	0.500
662	0.270
679	0.020
681	0.110
682	0.100
683	0.250
658/1	0.210
658/2	0.110
945/4	0.075
945/1 ख	0.080
945/5	0.500
1402/15 ख	0.500
1402/14	0.300
1402/1	0.550
1402/7	0.032
1431/1	0.400
1431/7	0.110
1431/6/1/2	0.425
1545	0.040
1544	0.030
1535/2808	0.080
1537	0.025
1536	0.230
1539	0.120
1540	0.020
1538	0.070
1552	0.350
1554	0.020
1552/2825/1	0.020
1552/2825/2/1	0.035
1552/2825/2/2	0.035
1552/2825/2/3	0.035
2570/1	0.015
2571/1	0.020
2550/2	0.010
2571/5	0.050
2571/2	0.020
2557/2	0.010
2571/3	0.020
2570/2	0.015
2550/3	0.004
2571/4	0.020
2550/1	0.010
2551	0.053
2552	0.250
2572	0.070
2569	0.170
2556/2	0.020
2557/1	0.230
2494	0.060
2490	0.220
2480	0.070
2331	0.150
2342	0.140
2491/1	0.070
2481/1	0.140
2482/1	0.005
2481/2	0.140
2444	0.140
2443	0.150
2448	0.020
2302	0.080
2330	0.070

(1)	(2)
2332	0.150
2333	0.050
2343	0.080
2419	0.070
2418/1	0.016
2418/2	0.080
2403	0.060
2407	0.070
2408	0.120
2409	0.140
2388	0.050
2391	0.110
2392	0.130
2397	0.150
2398	0.110
80/2	0.170
671	0.110
2416	0.180
2411	0.140
योग . .	12.485

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जतारा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—किटाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.193 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.024
272/2/1	0.129
60/2/1	0.061
272/2/2	0.020
60/2/2	0.121
60/3/3	0.121
60/4/2	0.024
60/3/2	0.020
272/1/1	0.332
272/1/2	0.385
272/3	0.223
272/4 ख	0.045
272/4 क	0.113
276/1/2 क	0.005
276/4	0.225
276/5	0.312
278	0.024
292/3	0.360
292/2/3	0.109
292/2/4	0.049
326/3	0.089
325	0.032
326/4	0.340
योग . .	3.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम किटाखेरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 18-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—मचोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.408 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/1	0.279
46/3	0.154
11	0.020
48/2	0.069
46/2	0.069
46/4	0.146
12	0.049
40	0.267
41/1	0.028
45	0.016
39	0.194
35	0.004
36	0.150
37	0.186
22	0.182
24	0.243
19	0.061
144/2	0.158
148	0.032
151	0.081
152	0.020
योग . .	2.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम दिनऊ की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 19-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—पलेरा

(ग) नगर/ग्राम—दिनऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.462 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
509	0.040
513	0.050
531/1	0.150
531/2	0.180
531/35	0.240
531/4	0.200
539/3	0.576
539/4	0.576
536/7	0.250
536/8	0.200
योग . .	2.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम दिनऊ की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. 524-25-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) नगर/ग्राम—लखनकोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
208	1.47 में से	0.23
266	0.35 में से	0.02
268	0.46 में से	0.03
269	0.95 में से	0.71
271	0.35 में से	0.06
281	1.48 में से	0.06
284	0.48 में से	0.08
288	2.00 में से	0.04
296	0.62 में से	0.25
297	2.22 में से	0.93
298	0.97 में से	0.57
308	1.01 में से	0.40
335	1.85 में से	0.71
338	0.84 में से	0.63
341	0.43 में से	0.01
342	0.37 में से	0.03
344	3.97 में से	0.89
372	0.75 में से	0.21
384	0.37 में से	0.08
387/1	1.64 में से	0.53
387/2	0.90 में से	0.78
395	1.69 में से	0.06
408	0.40 में से	0.14
409	0.20 में से	0.11
410/1	0.38 में से	0.37
410/2	0.24 में से	0.24
410/3	0.38 में से	0.25
410/4	0.40 में से	0.23
411/1	0.03 में से	0.03
411/2	0.01 में से	0.01
411/3	0.01 में से	0.01
411/4	0.01 में से	0.01
411/5	0.02 में से	0.01
412	0.47 में से	0.36
417/1	0.81 में से	0.02
431/2	0.34 में से	0.14
439	3.35 में से	1.10
440/1	0.25 में से	0.07
440/2	0.25 में से	0.18
441	0.54 में से	0.02
442	0.68 में से	0.17
445/1	0.18 में से	0.06
469	0.85 में से	0.07
471	0.78 में से	0.33
472/1	0.37 में से	0.07
योग . .	36.12 में से	10.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 526-27-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सर्वाजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) नगर/ग्राम—हरसवाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
44	0.97 में से	0.02
45	0.21 में से	0.21
47/1	0.17 में से	0.17
47/2	0.17 में से	0.17
47/3	0.20 में से	0.20
47/4	0.13 में से	0.13
48	0.60 में से	0.20
49	0.87 में से	0.01
52	0.85 में से	0.26
53	0.95 में से	0.09
71	0.89 में से	0.01
79	0.56 में से	0.04
80	3.45 में से	1.05
97	0.67 में से	0.03
101	0.43 में से	0.07
105	0.36 में से	0.34
106	0.13 में से	0.06
107	0.64 में से	0.07
108	0.52 में से	0.25
109	0.69 में से	0.68
110	0.93 में से	0.93
111	0.80 में से	0.80
112/1	0.48 में से	0.48
112/2	0.33 में से	0.33
112/3	0.37 में से	0.37
113	0.30 में से	0.30
114	0.64 में से	0.64
115	0.36 में से	0.36
116	0.55 में से	0.55
117	0.60 में से	0.16
121	0.80 में से	0.60
122	0.89 में से	0.89
123	0.72 में से	0.67
124	0.23 में से	0.07
125	0.78 में से	0.10
156	1.17 में से	0.02
157	1.62 में से	0.42
191	0.52 में से	0.04
192 पैकी	0.28 में से	0.04
194/1	0.45 में से	0.36
194/5	0.21 में से	0.01
195 पैकी	0.26 में से	0.05
195 पैकी	0.15 में से	0.14
195 पैकी	0.10 में से	0.04
197	0.50 में से	0.25
198 पैकी	0.43 में से	0.16
198 पैकी	0.14 मे से	0.04
199	0.94 में से	0.42
200 पैकी	0.61 में से	0.01
208	0.93 में से	0.37
209	0.80 में से	0.23
210	0.70 में से	0.01
212/1	0.50 में से	0.25
212/2	0.79 में से	0.06
योग . .	33.34 में से	14.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 528-29-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सर्वाजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) नगर/ग्राम—रिछवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
845	2-81 में से	1.25
योग . .	2-81 में से	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. 454-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मझियार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.560 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे.में)	शासकीय भूमि (हे.में)
(1)	(2)	
107	0.060	–
108	0.020	–
97	–	0.010
113	0.020	–
118	0.016	–
114	0.008	–
115	0.036	–
117	0.068	–
133	0.028	–
177	0.048	–
178	0.072	–
176	0.064	–
187	0.218	–
189	0.274	–
190	0.004	–
196	–	0.008
267	0.080	–
268	0.004	–
269	0.004	–
266	0.032	–
265	0.032	–
264	0.020	–
263	0.040	–
262	0.078	–
219	0.125	–
218	0.113	–
221	0.190	–
229	0.088	–
230	0.016	–
240	0.226	–
239	0.008	–
231	0.004	–
232	0.008	–
243	0.176	–
248	0.012	–
249	0.149	–
464	0.008	–
463	0.160	–
472	0.033	–
योग :	2.542	0.018

कुल अर्जित रकबा (अशासकीय+शासकीय)=2.542+0.018=2.560 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 477-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—सुअरगात
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.62 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
393/1, 393/2/1, 393/2/2	0.04
394	0.03
395	0.17
401/1, 401/2	0.13
402/1, 402/2	0.17
405/1, 405/2	0.01
योग (अ)	: 0.55
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
397	0.01
404	0.06
योग (ब)	: 0.07
कुल निजी भूमि	: 0.55
कुल शासकीय भूमि	: 0.07
महायोग (अ+ब)	: 0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की गोपालपुर माईनर (विस्तार) हेतु अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 479-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—कंधवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.53 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
561	0.03
572	0.13
573	0.01
579	0.03
618	0.09
619	0.05
621	0.02
633/2	0.02
635	0.02
657	0.02
660	0.03

(1)	(2)
662	0.03
768	0.04
774	0.01
775	0.04
842/1 842/2	0.08
843	0.02
849	0.02
850/1 859/2	0.01
851/1 851/2	0.06
852	0.06
853	0.02
854	0.02
880/1 880/2 880/3	0.20
881	0.01
883	0.03
884	0.02
885	0.02
886	0.01
910	0.03
1635/1 1635/2	0.05
1644/2 1644/3	0.32
1647	0.09
1648	0.05
1649	0.22
1651	0.13
1653	0.08
1654/1 1654/2 1654/3	0.17
1657/1 1657/2 1657/3	0.25
1664	0.38
1687/1 1687/2	0.01
1750	0.07
1752	0.02
1754	0.01
1757	0.02
1758	0.02
1759	0.05
1764	0.03
1765	0.01
1773	0.04
1774	0.02
1775/1 1775/2	0.01
1779	0.01
1792	0.02
1794	0.02
1795	0.02
1796	0.02
1797	0.02
1798/1 1798/2	0.05
1799/1 1799/2	0.07
1808	0.10
1809	0.01
1810	0.01
1839	0.02
1840	0.04
1841	0.04
1845/1 1845/2	0.07
1850	0.04
1851/1 1851/2 1851/3 1851/4 1851/5	0.03
1852/1/1 1852/1/2	0.02
1853	0.03
1854/1 1854/2 1854/3	0.06
1558	0.03
1859	0.03
1860/1 1860/2	0.03
1861/1 1861/2	0.10
योग (अ)	: 4.02

(1)	(2)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
578	0.08
620	0.02
633/1	0.07
651	0.02
652	0.02
656	0.02
658	0.02
1633	0.02
1645	0.20
1658	0.02
1758	0.02
योग (ब) :	0.51
कुल निजी भूमि :	4.02
कुल शासकीय भूमि :	0.51
महायोग (अ+ब) :	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तिवियान टोला सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 481-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—सजहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.65 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
450	0.03
451	0.08
452	0.05
455	0.04
456	0.03
457	0.03
474	0.12
477	0.01
509	0.03
511	0.01
512	0.05
513	0.01
514	0.06
523	0.01
524	0.05
528/1 528/2	0.12
530	0.01
730	0.04
731	0.06
732	0.03
733	0.07
743	0.08
744	0.03
745	0.01
761	0.01
762	0.02
763	0.10
764	0.01
767	0.02
770	0.03
771	0.03
774/1	0.13
788	0.03
789	0.03
790	0.02
797	0.03
798	0.01
799	0.05
800	0.05
801	0.02
योग (अ) :	1.65
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
	निल
योग (ब) :	निल
कुल निजी भूमि :	1.65
कुल शासकीय भूमि :	निल
महायोग (अ+ब) :	1.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की सजहा सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 483-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—झाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.35 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
614	0.03
615/1, 615/2	0.10
658	0.14
660	0.16
743	0.08
773	0.08
778	0.11
योग (अ) :	0.70
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
659	0.03
662	0.01
663	0.16
744	0.05
745	0.02
746	0.38
योग (ब) :	0.65
कुल निजी भूमि :	0.70
कुल शासकीय भूमि :	0.65
महायोग (अ+ब) :	1.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत झाला सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-क्र. 118-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—रणगॉवड़ेव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.330 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
27/2 26/2	0.020
33/5	0.210
90/2	0.100
योग . .	0.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-क्र. 121-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—कोयड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.974 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/4	0.600
83/2/1	0.352
85/2/1	0.012
84/2ख 87/2	0.017
85/1	0.020
86/1 क	0.400
86/2 86/3	0.504
88/3	0.176
89/3	0.080
89/4	0.032
140	0.067
145/2	0.100
145/1/4	0.192
145/1/2	0.384
145/3	0.545
145/5	0.185
189/1	0.308
योग . .	3.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/ बाड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13-क्र. 115-भू-अर्जन-नहर—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—सांगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.473 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
23/2 24/2	0.463
39/3	0.520
41/3	0.390
82/2	0.630
92/2	0.030
108/1 109	0.440
योग . .	2.473

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12-क्र. 116-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—सिवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.268 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.006
1/2	0.004
1/3, 2/1	0.420
1/4, 2/2	0.080
1/5, 2/4	0.100
1/6,. 2/5	0.088
63/2	0.170
64/1	0.050
65/2	0.210
66/1, 66/3, 67/1	0.560
66/4, 66/5, 67/2, 67/3, 67/4	0.300
72/3	0.200
72/4/1	0.130
72/5, 74/2, 75/1	0.520
73, 76/4	0.560
80/1, 88/4, 88/5	0.870
योग . .	4.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12-क्र. 120-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—फत्यापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.891 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/1	0.190
105/2	0.020
117/2	0.100
121/2, 121/3, 121/4	0.381
122/1	0.200
योग . .	0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12-क्र. 119-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—नंदगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.859 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/3, 58/1	0.252
34/8, 58/2	0.196
41/2, 44/8, 45/1/2	0.200
41/9, 43/3	0.216
45/1/1	0.248
62/1, 63/2	0.191
64/3, 65/2	0.056
64/5	0.457
65/3	0.360
66/1	0.144
66/3	0.160
68/1, 70/5	0.096
68/3	0.104
68/4, 70/6	0.088
70/4 क	0.200
70/4 ख	0.718
71/2	1.619
78/1	0.026
78/3	0.008
78/4	0.088
78/5	0.016
78/6	0.188
96/1	0.610
96/2	0.202
98/1	0.600
98/2	0.043
103/2	0.149
105, 106/1, 106/2	0.296
(1)	(2)
143/2 ख	0.088
143/3	0.072
143/5	0.168
योग . .	7.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13-क्र. 117-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—सनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/6	0.065
6/7	0.075
9/1	0.189
9/3, 19/1	0.100
9/4, 19/4	0.088
9/5, 19/5	0.098
18/3	0.050
19/3	0.010
50/7	0.170

(1)	(2)
51, 52, 69	0.160
67/1, 68/1	0.010
67/4, 70	0.050
67/6, 68/7	0.010
68/4	0.014
68/6	0.006
68/9	0.085
योग . .	1.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सनगॉव माईनर वितरण शाखा एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13-क्र. 122-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—साकड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.120 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
106/1, 107/4	0.036
118/1	0.178
118/2	0.138
118/3	0.210
119/3	0.117
119/4	0.170
119/5	0.036
124/1	0.057
124/4	0.154
124/6	0.024
योग . .	1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण शाखा नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, 28 जनवरी, 2013

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13-क्र. 199-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—बजट्टा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.346 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1	0.002
3/6	0.100
18/20, 19/3, 36/2	0.830
20/3, 21	0.200
32/3/1	0.350
34/1	0.004
34/2	0.510

(1)	(2)
35/1 क	0.500
35/1 ख	0.160
36/1	0.600
48/5	0.070
83/6	0.020
योग . .	3.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13-क्र. 198-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—पीपरीड़ेव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.114 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/3	0.370
4/2, 5/4	0.004
5/1/1, 130/3	0.290
13/25	0.087
13/29	0.180
13/30	0.140
13/32	0.043
योग . .	1.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12-क्र. 290-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—उजवनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.796 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
28/13, 44/2/1, 45/2	0.110
36/3	0.100
45/8	0.005
45/9	0.031
46/1/1	0.090
46/4	0.170
46/5	0.290
योग . .	0.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 20 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13-क्र. 396-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—उचावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.410 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/2	0.164
8/2, 9, 11/4	0.502
11/2	0.026
14/3	0.103
46/1, 47/2	0.236
46/2, 47/3	0.363
47/4, 47/5	0.230
74/4	0.040
92/1	0.030
92/4	0.290
93/4	0.101
93/14	0.010
95/3	0.045
95/4	0.266
95/5	0.121
95/6	0.032
95/7	0.010
95/18	0.010
95/26	0.110
96/2	0.020
96/3	0.020
98/18	0.010
98/19	0.040
103/3	0.385
144/2, 144/3, 146/2, 146/5/2 146/7, 146/8	0.290
147/12, 147/14 148/2, 148/7	0.100
152/2, 152/3, 153/11	0.011
152/4, 153/2	0.040
155/2	0.035
155/6	0.064
156/3	0.010
156/4, 157/4	0.210
160/1	0.130
165/3	0.085
180/4, 180/7, 182/1, 184/12	0.061
180/6, 181/1	0.210
योग . .	4.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13-क्र. 395-भू-अर्जन-नहर.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—मंडवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.785 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
465/4	0.283
474/2, 475/1	0.021
474/3, 475/2, 475/3	0.566
476/1, 477/2	0.243
479/1	0.219
479/2	0.202
479/3	0.243
479/4	0.008
योग . .	1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर, उप-माईनर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13-क्र. 394-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—मंदिल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.936 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/2, 6/3	0.425
6/1, 8/2	0.178
9	0.135
11/1	0.129
11/2	0.007
11/5	0.031
11/6	0.031
योग . .	0.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 21 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13-क्र. 408-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—बांदरकच्छ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.599 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
28	0.080
29/1	0.050
30/2, 30/3, 31/282/3/1	0.040
31	0.195
134/1	0.090
135/2	0.005
135/3	0.060
135/4	0.070
135/6, 258/3/2	0.395
135/5, 258/3/1	0.395
141/1, 249/2	0.440
141/3, 142	0.126
154/2, 155, 156/1/5, 156/3	0.315
158, 159/2, 159/3 159/4, 201/2, 201/4	0.350
159/5	0.062
187/1/6	0.050
187/6/1/1, 196/2/1	0.260
187/6/1/2, 196/2/2	0.400
187/6/2, 196/3	0.625
187/7	0.230
187/10	0.100
187/11	0.375
188/3, 189/3	0.345
191	0.706
196/1	0.480
198	0.240
199	0.360
207/2	0.175
236/1	0.480
236/2	0.285
236/3	0.350
236/4	0.035
236/5	0.120
236/6	0.165
239/2	0.044
242/1	0.310
242/2	0.075
243/2, 276/2/2	0.240
243/3, 276/3	0.320
243/4	0.020
249/1/1/2, 249/3 251/1/2, 251/2/1	0.460
249/4	0.260
276/2/1	0.010
285/3	0.095
285/5	0.170
285/6	0.015
286	0.065
294/2	1.030
294/3 क/1	0.560
294/3 क/3	0.515
294/3 ख/1	0.358
294/3 ख/2	0.357
294/7 ख, 294/10	0.810
301/5	0.105
301/6	0.335
301/10	0.054
302/2	0.035
302/6	0.130
304/5	0.097
304/6	0.675
योग . .	15.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की कुआॅ एवं खजुरी वितरण शाखा एवं उप शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 फरवरी, 2013

क्र. 1459-प्र.क्र. -71 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—जैतपुर गंगई, प.ह.नं.-24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.04 हेक्टर.

खसरा नंबर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
275	0.03
278/1	0.01
योग . .	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय योजना की दायीं तट नहर के अंतर्गत, देगुंआ माइनर निर्माण हेतु ग्राम जैतपुर गंगई की निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र.-भू-अर्जन-02(अ-82)-2011-12-562.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—सिलहरी रे., प.ह.नं. 5/11

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.09 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
510/1	0.110
510/2	0.110
396	0.260
397	0.250
398	0.250
441	0.260
440	0.480
430	0.100
439	0.150
436	0.310
230	0.060
437	0.110
429	0.180
231	0.070
229	0.110
228	0.150
227	0.080
निजी भूमि- योग . .	3.040
शासकीय भूमि	
503, 431, 433, 232	0.050
कुल योग . .	3.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिकरिया (सिलहरी) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-03(अ-82)-2011-12-561 A.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—पिपराडी, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.510 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
नहर कार्य निजी भूमि	
101	0.090
107	0.230
108	0.180
115	0.020
99	0.050
93	0.040
114	0.230
110	0.160
118	0.020
89/2	0.040
128	0.170
121	0.290
129	0.030
133	0.220
134	0.050
435	0.020
434	0.030
330/1	0.160
330/2	0.120
330/3	0.130
330/4	0.080
139	0.130
141	0.320
142	0.050
(1)	(2)
140/2	0.030
135/2	0.020
135/1	0.360
निजी भूमि- योग . .	3.310
शासकीय भूमि	
89/1, 426	2.200
कुल योग . .	5.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

प्र.क्र. 04-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—जबलपुर

(ग) ग्राम—भेड़ाघाट, न.बं. 355, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
48/2	0.06
योग :	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम भेड़ाघाट के रोड का निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 फरवरी 2013

नस्ती क्र. 60-2012-एलए-भू-अर्जन- प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—कौड़ियाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—159.28 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
20/1	0.13	
20/2	0.16	
20/3	0.81	पैकी
20/4	0.54	
20/5	0.40	
20/7	0.07	
20/8	0.07	
20/9	0..40	
20/10	0.07	
21	1.53	पैकी
22	0.30	
23	1.08	पैकी
24	2.42	पैकी
25	0.03	पैकी
26	0.02	
27	0.03	
28	0.05	
29	0.05	
31	2.07	
32/1	3.94	
32/2	0.05	पैकी
32/3	0.08	पैकी
37	2.53	
38	1.92	
39	3.86	
41/1	0.75	
41/2	1.24	
42	2.04	
43	1.78	
44/1	1.58	
44/2	1.60	
45	0.48	
46/1	0.36	
46/2	0.56	
46/3	0.56	
46/4	0.56	
46/5	0.56	
47/1	0.80	
47/2	0.92	
47/3	0.92	
48/1	0.77	पैकी
48/2	0.09	
48/3	0.05	
59	0.31	पैकी
91	0.14	पैकी
92	0.13	पैकी
96	0.29	पैकी
97/1	4.71	पैकी
98/3	0.01	पैकी
103/1	0.15	पैकी
103/2	0.25	पैकी
104	5.54	
105	1.00	
106	1.45	
107/1	1.32	
107/2	0.46	

(1)	(2)	
107/3	0.26	
107/4	0.27	
108	2.32	
109/1	1.12	
109/2	0.89	
109/3	0.20	
110/1	3.41	
110/2	1.95	
111/1	1.14	
111/2	1.26	
112/1	2.00	
112/2	0.08	
112/3	0.10	
112/4	0.10	
112/5	0.12	
112/6	0.06	
113/1	0.89	
113/2	0.88	
113/3	0.88	
114/1	2.26	
114/2	0.10	
114/3	0.10	
115	3.64	
116/1	1.54	
116/2	1.53	
117	2.65	पैकी
120/2	4.32	
120/3	0.45	
123/1	1.26	
123/2	0.32	
124	2.55	
125	1.50	
126	1.59	
127/1	1.42	
127/2	0.65	
127/3	0.40	
127/4	0.40	
127/5	0.40	
127/6	0.40	
129	1.35	
130/1	1.45	
130/2	1.45	
132	1.99	
133/1	2.61	
133/2	2.02	
133/3	2.02	
133/4	1.52	
133/5	0.20	
133/6	0.20	
133/7	0.10	
134	2.50	
135/1	1.99	
135/2	0.80	
135/3	0.20	
135/4	0.20	
135/5	0.20	
136	1.65	
137	1.90	
138	0.79	
139	0.86	
140	1.33	
141	0.33	
142	1.13	
144	0.32	
145	1.30	
146	0.47	
147	1.60	
148	2.76	
149/1	0.44	
149/2	1.75	
149/3	1.74	
149/4	0.43	
149/5	0.44	
149/6	0.43	
150/1	1.00	
150/2	0.20	
150/3	0.20	
152	1.75	
153	0.98	
154	2.97	
167	1.83	पैकी
168/1	0.37	पैकी
168/2	1.28	पैकी
169	1.46	पैकी
170	4.45	पैकी
297	1.36	
298	0.99	पैकी
318	0.57	पैकी
योग :	159.28	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना में विद्युतगृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले, खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07, एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन प्र.क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—भिलाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—5.18 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41	0.02
42/3	0.25
42/5	0.11
42/6	0.25
42/7	0.10
43/1	0.25
44/1	0.14
44/2	0.18
45	0.04
55/1	0.25
57	0.03
88	0.02
89	0.85
90	0.29
91	0.21
94/2	0.70
106/3	0.05
106/4	0.45
106/5	0.35
108	0.64
योग :	5.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले, खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07, एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र. 64-2012-एलए-भू-अर्जन- प्र. क्र. 24-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—गोराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—182.61 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154/776	0.11 पैकी
155/777	0.23 पैकी
155	0.11 पैकी
158/1	0.03 पैकी
161	0.15 पैकी
163	0.12 पैकी
165	1.34
166/1	1.00
166/2	0.50
167	0.45
168	1.00

(1)	(2)
169/1	0.22
169/2	0.13
169/3	0.40
169/4	0.40
169/5	0.10
169/6	0.10
169/7	0.10
169/8	0.10
169/9	0.10
170/1	1.69
170/2	1.00
171/1	0.47
171/2	0.13
172/1	0.23
172/2	0.40
172/3	0.24
174/1	4.27 पैकी
174/2	0.31 पैकी
174/3	1.20
174/4	0.06
174/5	0.06
175/1	0.14 पैकी
175/2	0.70
175/3	0.70
175/4	0.76
175/5	0.80
175/6	0.80
175/7	1.12 पैकी
175/8	0.77
175/9	0.77
175/10	1.01
177/1	0.04 पैकी
177/2	0.12 पैकी
475/1	2.46 पैकी
480/1	0.40 पैकी
480/2	0.75
481/1	0.91 पैकी
481/2	0.75
482	1.65
483	2.15
485	0.67
486/1	0.58
486/2	1.62
486/3	0.10
486/4	0.10
486/5	0.10
486/6	0.10
487	0.56
488	0.90
489/1	0.26
489/2	0.50
489/2 क	0.74
489/3	1.29
489/4	0.10
489/5	0.20
489/6	0.20
489/7	0.10
489/8	0.10
489/9	0.10
489/10	0.06
489/11	0.06
489/12	0.06
489/13	0.06
490	2.24
491	1.80
493	1.16
494	0.91
495	1.55
496/1	0.38
496/2	0.40
496/3	0.38
496/4	0.50
496/5	0.50
496/6	0.38
497	3.91
498	0.23
499	0.94
500	0.55
501	2.63
502/1	1.00
502/2	2.35
502/3	1.00
504	0.42
505	1.43
506	0.41
507	0.30
508	1.57
509	0.55
510	0.82

(1)	(2)	(1)	(2)
511	0.27	535/4	0.42
512	0.56	537/1	0.35
513/1	0.25	537/2	0.35
513/2	0.10	538/1	0.33
513/3	0.10	538/2	0.70
515/1	0.77	538/3	0.70
515/2	0.76	538/4	0.50
515/3	0.50	538/5	0.70
516	0.98	538/6	0.30
517	2.49	538/7	1.60
518/1	0.65	538/8	1.60
518/2	0.76	538/9	1.40
518/3	1.00	538/10	0.40
518/4	0.24	538/11	0.20
519	1.30	538/12	0.20
520	3.14	538/13	0.20
521	1.57	538/14	0.20
522/1	0.80	539/1	0.10
522/2	0.40	539/5	0.20
523	1.86	539/6	0.16
524	3.89	541/1	0.05
525	2.45	541/2	1.25
526/1	1.74	542/1	5.17
526/2	1.23	542/2	0.40
526/3	0.20	542/3	0.20
526/4	0.40	542/4	0.30
527/1	1.10	543/1	0.79
527/2	0.40	543/2	1.52
527/3	0.40	543/3	1.30
527/4	0.40	543/4	0.60
528	0.37	543/5	1.05
529	1.61	543/5 अ	0.10
530	1.16	543/6	0.20
531	1.14	543/7	0.10
532/1	0.53	543/8	0.18
532/2	0.20	544/1	0.36
532/3	0.40	544/2	1.60
533/1	1.19	545	0.45
533/2	0.12	546/1	0.68
534	1.30	546/2	0.70
535/1	0.74	547	1.25
535/2	0.74	548	1.30
535/3	0.35	549/1	0.19
		549/2	0.19
		549/3	0.42

(1)	(2)	
549/4	0.20	
550	1.26	
551	0.97	
552/1	1.10	
552/2	1.20	
553	1.50	
554/1	0.87	
554/2	0.30	
555/1	1.39	
555/2	1.35	
555/3	1.92	
556/1	1.52	
556/2	0.13	
560/1	6.35	
560/2	0.40	
560/3	0.40	
561/1	0.80	
561/2	0.80	पैकी
562	2.13	
563	1.10	
564	1.26	
583/3	1.12	
583/4	0.44	
583/5	0.40	
583/6	0.08	
583/7	0.08	
589/1	1.40	
589/2	1.90	
589/3	0.40	
589/4	0.20	
589/5	0.40	
589/6	0.20	
591	3.48	
592	2.27	
593	0.70	
636	0.28	
637	0.37	
योग :	182.61	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना में विद्युतगृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले, खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07, एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 187-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच

(ख) तहसील—नीमच

(ग) नगर/ग्राम एवं क्षेत्रफल—हनुमंत्या पंवार 3.050 हे., सिरखेड़ा 9.550 हे., बिसलवास सोनगरा 0.560 हे., सकरानी 0.300 हे., केनपुरिया 0.300, जवासा 0.140 हे.

सर्वे नंबर	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-हनुमंत्या पंवार (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
98	0.050
180	0.050
181	0.040
182	0.070
187	0.030
367	1.600
436	0.160
438	0.640
441	0.410
योग . .	3.050

(1)	(2)
ग्राम-सिरखेड़ा (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
52	1.010
91	0.100
164/2	0.810
189	0.340
202	0.550
203	0.460
207	0.630
208	0.120
339	1.050
393	1.000
650	0.020
665	0.590
666	0.610
818	0.120
826	0.100
897	0.400
924	0.280
967	0.200
975	0.070
994	0.470
1058	0.050
1059	0.050
1060	0.050
834/1186	0.400
504	0.030
1180	0.040
योग . .	9.550
ग्राम-बिसलवास सोनगरा (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
1124 मीन-2	0.060
1129 मीन-1	0.500
योग . .	0.560
ग्राम-सकरानी (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
316	0.300
योग . .	0.300
ग्राम-केनपुरिया (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
181 मीन-2	0.300
योग . .	0.300
ग्राम-जवासा (ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु)	
647	0.140
योग . .	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु भू-अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच में किया जा सकता है.

क्र. 194-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच

(ख) तहसील—नीमच

(ग) नगर/ग्राम—चंगेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.03 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
147	0.040
148	1.340
149	1.160
150	0.330
156	0.660
157	0.520
158	0.100
159	1.780
160	0.860
161	1.240
कुल योग . .	8.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—नवीन कृषि उपज मण्डी हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.